पत्र संख्या-स्था-5(ख) -पदोन्नति में आरक्षण / परि0ज्ये0/ प्रत्यावर्तन-2015-16// 952 // वाणिज्यकर

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित)

लखनऊ // दिनॉक // मई 18, 2017

-:: आदेश ::-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-04-2012 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन (कार्मिक अनुभाग-2) के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002 टी0सी0-1-का-2/2015 दिनांक 21-08-2015 के क्रम में मुख्यालय के आदेश संख्या 2918 दिनांक 28-09-2015 के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित आरक्षित श्रेणी के 355 कार्मिकों को प्रदान की गई आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति को अवक्रमित करते हुये स्तम्भ-7 में अंकित उनसे वरिष्ठ अनारक्षित श्रेणी के कार्मिकों को प्रदान की गई स्तम्भ-9 में अंकित पदोन्नति की तिथि के अनुसार पदोन्नत मानते हुये वेतन निर्धारित करने के आदेश कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिये गये है।

उपरोक्त के अनुपालन में पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण हेतु आ रही कठिनाईयों के प्रकाश में आने पर इस कार्यालय के उक्त आदेश संख्या-2918 दिनांक 28-09-2015 को संशोधित करते हुये उसमें अंकित शर्तो / प्रतिबन्धों में निम्न बिन्दु-5 को भी सम्मिलित मानते हुये पढ़ा एवं लिखा समझा जाये :-

"(5) संलग्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित आरक्षित श्रेणी के किसी कार्मिक को यदि पूर्व विभाग की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण में प्राप्त हुआ है तो स्तम्भ-7 में अंकित अनारक्षित श्रेणी के आसन्न वरिष्ठ कार्मिक को अनुमन्य मूलवेतन के बराबर उसका वेतन निर्धारित नहीं किया जायेगा अपितु ऐसे कार्मिक को स्तम्भ-9 में अंकित पदोन्नति की तिथि से पदोन्नत मानते हुये वेतन निर्धारण किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करायी जाये। साथ ही स्तम्भ-07 में अंकित जिन अनारक्षित श्रेणी के आसन्न वरिष्ठ कार्मिकों को अनुमन्य मूलवेतन किसी दण्डादेश के प्रभावी होने अथवा परिस्थितिजन्य कारणों से कम प्राप्त हो रहा है, तो उसके समान स्तम्भ-3 में अंकित आरक्षित श्रेणी के कार्मिक का मूलवेतन निर्धारित न किया जाये अपितु स्तम्भ-9 में अंकित पदोन्नति की तिथि से पदोन्नत मानते हुये वेतन निर्धारण किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।"

(अनूप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उपरोक्त की एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
5- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेन्ट कमिश्नर (ए), वाणिज्य कर, उ0प्र0।
6- पटल प्रभारी स्था-5(क), 4(क), 4(ख), 4(ग) एवं 4(घ)।

(प्रवीण वर्मा)
असिस्टेन्ट कमिश्नर(स्था0 अराज0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

848
DC(17)
19/5/17